भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद
स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार

Indian Council of Medical Research
Department of Health Research, Ministry of Health and Family Welfare, Government of India

संख्या. आईसीएमआर/आर एंड पी सेल/एलडीसीई/सहायक/2025
दिनांक : 16.04.2026

सेवा में,

निदेशक/निदेशक-प्रभारी
सभी परिषद के संस्थान/केन्द्र

विषय :- परिषद के संस्थानों/केन्द्रों में वर्ष 2025 एवं 2026 के लिए सहायक के पद की रिक्तियों को भरने हेतु।

महोदया/महोदय,

कृपया परिषद के दिनांक 14.11.2023 के पत्र संख्या 16/64/2023-प्रशा./ई-ऑफिस सं.167575 का अवलोकन करें, जिसके द्वारा सभी संस्थानों/केन्द्रों/मुख्यालय को यथा लागू भर्ती नियमों के अनुसार पदोन्नति और LDCE कोटे के अधीन सहायक के रिक्त पदों को संस्थानों/केन्द्रों को स्वयं अपने स्तर पर भरने की अनुमति प्रदान की गई थी।

1.1 इसके अलावा, परिषद के दिनांक 16.08.2024 के पत्र संख्या 16/64/2023-प्रशा./ई-167575 का भी अवलोकन करें, जिसके द्वारा सभी संस्थानों/केन्द्रों/मुख्यालय को यथा लागू भर्ती नियमों के अनुसार 'प्रत्यक्ष भर्ती कोटा' के अंतर्गत सहायक के रिक्त पदों को संस्थानों/केन्द्रों को स्वयं अपने स्तर पर भरने की अनुमति प्रदान की गई थी।

2. अब, उपर्युक्त विषय के संदर्भ में, यह सूचित किया जाता है कि परिषद के सभी संस्थानों/केंद्रों में वर्ष 2025 और 2026 में रिक्त सहायक के पदों के लिए , डीपीसी, सीमित विभागीय प्रतियोगी परीक्षा (एलडीसीई) और सीधी भर्ती (डीआर) कोटा के तहत आने वाली रिक्तियों को भरने की प्रक्रिया को अपने स्तर पर आगे बढ़ा सकते हैं (बशर्ते कि इन रिक्तियों को एम्स द्वारा आयोजित CRE के माध्यम से भरने के लिए पहले रिपोर्ट न की गई हो); यह प्रक्रिया पूर्णतः सहायक के पद के लिए मौजूदा भर्ती नियमों के अनुरूप होनी चाहिए।

3. सहायक के पद के लिए भर्ती नियम निम्नलिखित भर्ती प्रकियाओं का प्रावधान करते हैं :

(i) यूडीसी ग्रेड में दस वर्ष की नियमित सेवा सहित प्रवर श्रेणी लिपिकों में से डीपीसी द्वारा 25% पद, इसमें असफल होनें पर सीमित विभागीय प्रतियोगी परीक्षा (एलडीसीई) द्वारा, और यदि दोनों में असफल होनें पर सीधी भर्ती द्वारा।

(ii) यूडीसी ग्रेड में 5 वर्ष की नियमित सेवा और अपेक्षित योग्यता रखने वाले प्रवर श्रेणी लिपिकों में से डीपीसी द्वारा 35% पद, इसमें असफल होनें पर सीमित विभागीय प्रतियोगी परीक्षा (एलडीसीई) द्वारा,और इसमें असफल होनें पर प्रतिनियुक्ति द्वारा और दोनों में असफल होनें पर सीधी भर्ती द्वारा।

(iii) 40% सीधी भर्ती द्वारा

3.1 डीपीसी तरीके के माध्यम से सहायक के पद पर पदोन्नति के लिए कोई फीडर कैडर उपलब्ध नहीं है, या यदि रिक्ति वर्ष 2025 के लिए डीपीसी बैठक आयोजित करने के बाद भी, किसी कारणवश, रिक्तियां खाली रह गई हैं, तो संबंधित संस्थान उन रिक्तियों को भरने के लिए **"असफल होने पर LDCE द्वारा"** प्रावधान को लागू करने पर विचार कर सकता है।

3.2 वर्ष 2026 के लिए भी इसी तरह की प्रक्रिया अपनाई जाए।

4. इसके अलावा, अर्थात सहायक के पद पर पदोन्नति के लिए LDCE के संबंध में, सभी संस्थानों/केंद्रों को सूचित किया जाता है कि वे परिषद मुख्यालय में सहायक के पद पर पदोन्नति के लिए LDCE आयोजित करवाने हेतु, परिषद के दिनांक 16.04.2026 के सम-संख्यक परिपत्र (प्रति संलग्न) में दर्शाई गई परीक्षा योजना और पाठ्यक्रम का अनुपालन करें।

5. यह सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

संलग्न: यथोक्त

(रीमा शर्मा)
सहायक महानिदेशक (प्रशा.)

सूचनार्थ प्रतिलिपि :-

1. परिषद के महानिदेशक/अपर महानिदेशक(एसपी)/अपर महानिदेशक(एएस)/वरि. उप महानिदेशक(प्रशा.)वरिष्ठ वित्त सलाहकार के निजी सचिव।
2. उप महानिदेशक (प्रशा.), परिषद मुख्यालय।
3. सहायक महानिदेशक (प्रशा.)/ सहायक महानिदेशक (वित्त एवं लेखा), परिषद मुख्यालय।
4. प्रशासन अधिकारी(प्रशा.), परिषद मुख्यालय।
5. नोडल अधिकारी (ई-गर्वं सेल), आईसीएमआर वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।